RNI No. MAHBIL /2009/31730



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ६] बुधवार, मार्च १८, २०१५/फाल्गुन २७, शके १९३६ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवा संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. IX OF 2015.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2015.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०१५।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है ।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिये, ३५ अरब, ३६ करोड़, ९६ लाख, २० हजार रुपये निकालना ।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर पैंतीस अरब, छत्तीस करोड़, छियानबे लाख, बीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग ।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	३,०००	...	३,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	७,११,३३,०००	...	७,११,३३,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	७,११,३६,०००	...	७,११,३६,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-२	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।	२०३०, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।		६४,८५,०९,०००	...	६४,८५,०९,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	९,१३,०५,०००	...	९,१३,०५,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	२१,१४,९२,११,०००	...	२१,१४,९२,११,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	.. ..	१,०००	...	१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	२१,८८,९०,२६,०००	...	२१,८८,९०,२६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषिकर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	२,०००	....	२,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	२,०००	....	२,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।		१,०००	....	१,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-२	नगर विकास और अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगर विकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	२,४५,७०,७३,०००	....	२,४५,७०,७३,०००
एफ-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवा। ३४७५, अन्य, सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	५,८०,९३,०००	....	५,८०,९३,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	..	२,५१,५१,६६,०००	...	२,५१,५१,६६,०००
		वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	२,६७,०३,०००	....	२,६७,०३,०००

जी-३	ब्याज अदायगियाँ और सेवाएँ।	२०४८, ऋण की कटौती या परिहार के लिये विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	५,२४,४६,०६,०००	५,२४,४६,०६,०००
		कुल—वित्त विभाग।	..	२,६७,०३,०००	५,२४,४६,०६,०००	५,२७,१३,०९,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग।				
एच-६	लोक निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	..	...	८,६०,०००	८,६०,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	...	८,६०,०००	८,६०,०००
		जल स्त्रोत विभाग।				
आय-१	ब्याज अदायगी।	२०४९, ब्याज अदायगी।	..	...	१,६६,७१,०००	१,६६,७१,०००
		कुल—जल स्त्रोत विभाग।	..	...	१,६६,७१,०००	१,६६,७१,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।				
जे-१	न्याय प्रशासन।	.. २०१४, न्याय प्रशासन।	..	१,०००	२,३९,५५,०००	२,३९,५६,०००
		कुल —विधि तथा न्याय विभाग।	..	१,०००	२,३९,५५,०००	२,३९,५६,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।				
के-३	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण	..	२,३२,१०,०००	...	२,३२,१०,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	..	२,३२,१०,०००	...	२,३२,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्राम विकास तथा जल संरक्षण विभाग।				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।		...	२२,३८,३४,०००	२२,३८,३४,०००
एल-२	जिला प्रशासन। ..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	५०,०१,०००	....	५०,०१,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	...	८०,००,००,०००	८०,००,००,०००
		कुल —ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	..	५०,०१,०००	१,०२,३८,३४,०००	१,०२,८८,३५,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।				
एम-२	खाद्य । ..	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	..	१,४४,९१,८५,०००	...	१,४४,९१,८५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	१,४४,९१,८५,०००	...	१,४४,९१,८५,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,०००	...	२,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	२,०००	...	२,०००
ओ-१	जिला प्रशासन । ..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—जिला विभाग।	..	१,०००	...	१,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग।				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२,०००	...	२,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	२,०००	...	२,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।				
एस-१	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य । ..	२२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ।	..	६८,२८,९६,०००	...	६८,२८,९६,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।	..	६८,२८,९६,०००	...	६८,२८,९६,०००

जनजाति विकास विभाग।

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।	१५,०००	...	१५,०००
	कुल—जनजाति विकास विभाग। ..		१५,०००	...	१५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।				
वी-२	सहकारिता ।	.. २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	..	७४,६२,०००	...	७४,६२,०००
		कुल--- सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।		७४,६२,०००	...	७४,६२,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदागियाँ।		...	१६,२३,१०,०००	१६,२३,१०,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।		२६,५६,१०,०००	...	२६,५६,१०,०००
डब्ल्यू-७	तकनीकी शिक्षा।	.. २२०३, तकनीकी शिक्षा।		३,३४,०१,०००	...	३,३४,०१,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	..	२९,९०,११,०००	१६,२३,१०,०००	४६,१३,२१,०००
		मराठी भाषा विभाग।				
जेड च -२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	..	६,०००	...	६,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	..	६,०००	...	६,०००
		कुल— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	..	२६,९६,८८,२६,०००	६,४७,२२,३६,०००	३३,४४,१०,६२,०००
		ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय ।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय । ५०५५, परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय ।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—गृह विभाग ।	..	१,०००	...	१,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग

डी-८	पशुपालन पर पुँजीगत परिव्यय ।	४४०३, पशुपालन पर पुँजीगत परिव्यय।		२,०९,७३,०००	...	२,०९,७३,०००
डी-९	मत्स्यउद्योग पर पूँजीगत परिव्यय ।	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूँजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्यउद्योग के लिये कर्ज।		२,०००	...	२,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग ।	..	२,०९,७५,०००	...	२,०९,७५,०००

वित्त विभाग

जी-९	लोक ऋण तथा आंतर राज्यीय निपटान।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ६००४, केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम। ७८१०, आंतर राज्यीय निपटान।		...	१,६५,३७,४७,०००	१,६५,३७,४७,०००
		कुल—वित्त विभाग ।	..	...	१,६५,३७,४७,०००	१,६५,३७,४७,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यंको के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूँजीगत परिव्यय।	..	२,०००	...	२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	२,०००	...	२,०००

जलस्त्रोत विभाग

आय-५	सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..	३०,०००	...	३०,०००
		कुल---जलस्त्रोत विभाग।	...	३०,०००	...	३०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-११	ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		१,०००	...	१,०००
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज।				
		कुल---उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	...	१,०००	...	१,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूँजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय । ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय । ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय । ४४०३, पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बडी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघुसिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।	..	१२,०००	...	१२,०००
		कुल---जनजाति विकास विभाग।	...	१२,०००	...	१२,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	.. ४२३५, सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत लागत। ४२३६, पोषण पर पूँजीगत लागत।	..	२५,२६,०३,०००	...	२५,२६,०३,०००
		कुल---महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	२५,२६,०३,०००	...	२५,२६,०३,०००

जलआपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय ।	४२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय । ६२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज ।		११,८७,०००	...	११,८७,०००
		कुल---जलआपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	..	११,८७,०००	...	११,८७,०००
		कुल---ख-पूंजी लेखे परिव्यय।	..	२७,४८,११,०००	१,६५,३७,४७,०००	१,९२,८५,५८,०००
			कुलयोग ..	२७,२४,३६,३७,०००	८,१२,५९,८३,०००	३५,३६,९६,२०,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में राज्य की समेकित निधि में से वर्ष २०१४-२०१५ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है ।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	३३,४४,१०,६२,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	. .	१,९२,८५,५८,०००
कुल	. .	३५,३६,९६,२०,०००

मुंबई,
दिनांकित १८ मार्च २०१५ ।

सुधीर मुनगंटीवार,
वित्त मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.